संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : जनवरी, 2012

23 JAN 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय, के दिनांक 24-05-2011 के आदेश के अनुपालन में श्रीमति अनीता देवी, उपचारिका के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह केहने का निदेश हुआ है कि माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24-05-2011 के आदेश के तहत श्रीमति अनीता, उपचारिका से संबन्धित उत्तर प्रदेश राज्य आवंटन का आदेश रद्द कर दिया गया है और यह अनुरोध किया गया की भारत सरकार महिला विकल्प नीति के अनुसार उनके विकल्प पर पुनर्विचार कर यथोचित आदेश पारित करें । न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि तब तक याची नियुक्ति स्थान पर बनी रहेगी ।

2. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बेठक में प्रकरण पर विचार किया गया । समिति ने यह पाया कि राज्य गठन के समय मांगे गए विकल्प में श्रीमति अनीता द्वारा यह कहा गया कि "नवगठित राज्य उत्तराखंड का विकल्प तब माना जाए जब सम्पूर्ण रुड़की क्षेत्र उत्तराखंड की परिधि में हो अन्यथा उत्तर प्रदेश का विकल्प माना जाए ।" यह सशर्त होने के कारण संभवतः उनका अंतिम आबंटन उत्तराखंड के लिए नहीं हो सका था । व्यापक विचार विमर्श के उपरांत समिति इस निस्कर्ष पर पहुची कि उत्तराखंड राज्य गठन के समय हरिद्वार जनपद उत्तराखंड राज्य में सम्मिलित नहीं था । हरिद्वार जनपद का विलय उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2003 में हुआ था । अतः श्रीमति अनीता के दिये गए विकल्प के दृष्टिगत उत्तराखंड राज्य की विकल्पधारी महिलाकर्मी होने के कारण विशेष परिस्थिति में समिति द्वारा उन्हे उत्तराखंड राज्य आवंटन कि संस्तुति की गयी ।

-2-

3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्रीमति अनीता देवी, उपचारिका का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Deptt. of Personnel & Trg.
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
23 JAN 2012
जारी किया/ISSUED